

□□□□ □□□□□□

जनसत्ता 13 अगस्त, 2014 : जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जतिंदर सहि ने जम्मू में दाँि मोदी के भाषण के सार के यह कह कर दोहराया कि सरकार ने धारा-370 के समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो दरअसल वे आरं स स की दशक से चली आ रही मांग के ही दोहरा रहे थे। कैबिनेट मंत्री रवशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, 'हम सही समय पर सही फैसला लेंगे...आप जानते हैं कि हमने चुनाव प्रचार में क्या कहा था।'

□ कसच, जो संघ परिवार के पूर्ववक्ता देश की जनता के कभी नहीं बताते, वह यह है कि जब देश के बाकी राजाओं ने अपने राज्यों में भारतीय संविधान के वैध कर देना मंजूर किया, जम्मू और कश्मीर के हद्दी राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। जम्मू और कश्मीर रियासत की बागडोर डोगरा राजवंश के हरीसहि के हाथ में थी।

दूसरा सच, जो आरं स स ने नहीं बताया, वह है कि ये कश्मीर के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों का डट कर मुकबला किया था और कि धारा-370 कश्मीरी जनता और केंद्र सरकार के बीच □ कर्की के रूप में अस्तित्व में आई।

जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिकतर आबादी मुसलमानों की थी, पर वहां का राजा हरीसहि हद्दी था। राजा धर्मनरिपेक्ष भारत के साथ जुड़े ने क इच्छुक नहीं था। जम्मू-कश्मीर उन रियासतों में से □ क थी, जो भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। जो लोग कश्मीर समस्या के लिए नेहरू के दोष देते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि नेहरू ने राजा हरीसहि के इस रवै के देखते हुए चेतावनी दी थी कि किसी भी राज्य के इस तरह के बर्ताव के विरिधी रवैया समझा जागा, जबकि मुसलमि लीग ने महाराजा हरीसहि की जदि के ताकत दी। अंतरिम सरकार (जसिने दिसंबर, 1946 में कर्य आरंभ किया था) में मुसलमि लीग के नेता लयिक्त अली खान ने यह घोषणा की थी 'संविधान सभा से किसी भी तरह संबंध रखने से इनकार करने के लिए सभी राज्य पूरी तरह आजाद हैं।'

आजादी मलने से लगभग दो माह पूर्व 17 जून, 1947 के इंडियन मुसलमि लीग के प्रमुख नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी: 'परमसत्ता (अंगरेजी शासन) के समाप्त होने पर हद्दीस्तानी रियासतें संवैधानिक और कनूनी तौर पर स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न होंगी, वे अपने लिए जो कुछ पसंद करें उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे हद्दीस्तान संविधान सभा में शामिल हों या पाकिस्तान संविधान सभा में या चाहें तो स्वतंत्र रहें।' यह बयान दरअसल दो दिन पूर्व यानी 15 जून, 1947 के हुई अखलि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद आया, जसिमें कहा गया था कि कांग्रेस किसी राज्य के इस अधिकार के स्वीकर नहीं करेगी कि वह स्वयं के स्वतंत्र घोषित करे।

इससे ठीक उलट वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक रूप 'अखलि जम्मू और कश्मीर राज्य हद्दी सभा' के नेताओं का मानना था कि जम्मू और कश्मीर राज्य के 'हद्दी राष्ट्र' होने का दावा पेश करना चाहिए। और धर्मनरिपेक्ष भारत में शामिल नहीं होना चाहिए। महज इस लिए कि उस राज्य का राजा हद्दी है, जबकि 1941 की जनगणना के अनुसार कश्मीर घाटी में मुसलमानों की जनसंख्या 93.45 प्रतिशत थी। इस तथ्य को जानते हुए भी हद्दी महासभा ने राजा हरीसहि के समर्थन उनके शासन के सांप्रदायिक चरित्र के कारण दिया।

हरीसहि के शासन में व्यापार, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और कृषि में मुसलमानों के बराबर के अवसर नहीं दिये गए। साथ प्रतिलिखित गजेटेड नौकरियां डोंगरों और विशेषकर राजपूतों के लिए सुरक्षित थीं, बेशक उनकी शैक्षिक योग्यता कम थी। महाराजा हरीसहि के पहले पांच वर्ष के शासन में जो पचीस जागिरें बांटी गईं, उनमें से केवल दो जागिरें मुसलमानों को दी गईं। न्यायिक व्यवस्था में यह कानून था कि हत्या के जुर्म में डोंगरा को छोड़कर किसी को भी पंसी की सजा हो सकती है।

इसलिए भाजपा जब जम्मू शाखा के अपने पहले अवतार प्रजा परिषद और महाराजा हरीसहि की भूमिक को नजरअंदाज करके नेहरू और शेख अबदुल्ला के कश्मीर समस्या को जनक बताती है तो वह सरासर झूठ बोलती है। सच्चाई यह है कि इन दोनों के साथ-साथ गांधीजी की भूमिक भी बहुत सराहनीय थी।

शेख अबदुल्ला का 'कसूर' यह था कि उन्होंने अपनी इमरजेंसी सरकार के चलते वह जमीन, जो अधिकतर महाराजा और उनके लग्घों-बग्घों के हाथ में थी, जब्त कर ली थी और कोई मुआवजा नहीं दिया था। ये जमींदार अधिकतर हदू तो थे ही, उनका संबंध हदूवादी विचारधारा से भी था। शेख अबदुल्ला ने जमीन पर खेती करने वालों की रक्षा के लिए कानून बना। ताकि उन्हें बेदखल न किया जा सके। उनके कर्जे माफ कर दिये गए, आदि।

यह गौर करने लायक है कि जिस राज्य की पंचानबे प्रतिलिखित जनता मुसलमि थी, वहां न केवल एक गैर-मुसलमि, बल्कि एक गैर-कश्मीरी का शासन था। साथ में, उसका नजरिया फरिक्परस्त था, इसलिए कश्मीरी जनता से उसका जुड़ाव होने का कोई प्रश्न न था। जब अबदुल्ला ने 1946 में राजा के शासन के विरुद्ध 'कश्मीर छोड़ो आंदोलन' का नेतृत्व किया तो उसने कश्मीरी मुसलमानों की धार्मिक, क्षेत्रीय और जनतांत्रिक आकांक्षाओं को संतुष्ट किया। आर।स।स-भाजपा पूरे देश में यह पैलाते हैं कि वहां विभाजन रेखा इस्लाम है।

यह झूठ है, यह विभाजन रेखा कश्मीरी से गैर-कश्मीरी शासन का बदलाव है। नेहरू अपने को हमेशा कश्मीर का बेटा कहते थे और इस 'कश्मीर छोड़ो आंदोलन' से जुड़े ने की खातिर वे कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्हें पुलिस ने दाखल होने से रोक और इसमें उन्हें चोटें भी आई थीं। कश्मीर में नेहरू की लोकप्रियता का दूसरा कारण था कि उन्होंने शेख अबदुल्ला के वकील के रूप में काम किया, जबकि उन पर हरीसहि ने 'राजद्रोह' का मुकदमा ठोक था।

नेहरू पर जनसंघ के प्रमुख श्यामाप्रसाद मुखर्जी और कुछ कांग्रेसी नेताओं का भारी दबाव था कि कश्मीर का भारत में पूर्ण वलिय हो, धारा 370 समाप्त की जाए, आदि। पर नेहरू ने कहा, 'हमें दूरदृष्टि रखनी होगी। हमें सच्चाई को उदारतापूर्वक स्वीकार करना होगा। तभी हम कश्मीर का भारत में असली वलिय करवा सकेंगे। असली एकता दिलों की होती है। किसी कानून से, जो आप लोगों पर थोप दें, कभी एकता नहीं आ सकती और न सच्चा वलिय ही हो सकता है।'

कश्मीरी लोग गांधीजी से भी प्रभावित हुए। जब उन्होंने एक अगस्त, 1947 को कश्मीर के अपने दौरे के दौरान कहा कि जब पूरे भारत में सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं, कश्मीर रोशनी की एक किरण की तरह है। शेख अबदुल्ला ने, यह जानते हुए कि पाकिस्तान एक सच्चाई बन चुका है, न केवल भारत, बल्कि पाकिस्तान की सरकार के साथ भी बातचीत का सलिसला शुरू किया। पाकिस्तान का रुख दोस्ताना न था। यह बातचीत चल ही रही थी कि पाकिस्तान ने बंदूक की ताकत से कश्मीर का भविष्य तय करना चाहा। पाकिस्तान के कब्रायली छापामारों के हमले से डोंगरा सेना पछि गई और इस तरह कश्मीर की आजादी और पहचान को खतरा पैदा हो गया। इन छापामारों के विरुद्ध स्वाभिमानी कश्मीरियों का क्रोध भूकण्ठ। महाराजा के पास हदुस्तान से मदद मांगने के अलावा कोई चारा न था। कश्मीरी मानसिकता भी हदुस्तान के नेताओं के पक्ष में थी।

भारत सरकार ने राज्य सरकार पर दबाव डाला कि वह भारतीय संविधान के अधिकारों से अधिकारों वहां लागू करना स्वीकार करे। इसमें की सौदेबाजी हुई और जुलाई 1952 को शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच समझौता हुआ जिसे 'दिल्ली समझौता' के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त थी 'धारा 370 के प्रति प्रतिबद्धता', जिसके अनुसार रक्षा, मुद्रा, वदेशी मामले और संचार के छोड़ कर अन्य सभी विषयों पर परिणय लेने का पूरा अधिकार कश्मीर की सरकार को था। क प्रावधान यह भी था कि कश्मीर का अपना अलग राजकीय ध्वज होगा, पर तरिगे के अलग और विशिष्ट स्थान देते हूँ ही राजकीय ध्वज पहराया जा सकेगा। इसी तरह सदरे-रयिसत केंद्र द्वारा मनोनीत न होकर राज्य विधायक द्वारा निर्वाचित किया जाँगा जिसमें भारत के राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

इन तमाम मुद्दों पर सहमति के कारण ही आज जम्मू और कश्मीर भारत का राज्य बना हुआ है। मोदी ने तो अपने प्रचार अभियान के दौरान ही धारा 370 पर राष्ट्रीय बहस की मांग कर दी थी और प्रश्न किया था कि 'इससे कैसे लाभ हुआ?' सरकार के गठन के बाद अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने तो कश्मीर में 1953 के पूर्व की स्थिति की बहाली की मांग ही कर डाली।

यूपी सरकार ने कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और मम अंसारी के कदम के कश्मीर भेजा था जिन्होंने मई 2012 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग खारजि की गई है। साथ ही इसमें सफिरशि की गई है कि कश्मीर को वह स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जो उसे पहले प्राप्त थी। उनका यह सुझाव था कि मामला अगर कश्मीर की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से संबंधित न हो, तो संसद को इस संबंध में कोई कानून बनाने की पहल नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र में कोई भी बदलाव लागू करने से पहले, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाँ। इस दल ने धारा 370 के 'अस्थायी' के स्थान पर 'विशेष' प्रावधान का दर्जा देने की भी सलाह दी। वित्तीय ताकत से लैस क्षेत्रीय परिषदों के गठन की सफिरशि भी इस दल ने की। सीमा पर तनाव घटाने के उद्देश्य से हुर्रयित और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने का सुझाव भी इस टीम ने दिया।

यह रिपोर्ट फलिहाल ठंडे बस्ते में है। मोदी सरकार अगर सचमुच कश्मीर मामले के सुलझाना चाहती है तो सबसे पहले उसे धार्मिक राष्ट्रवाद के चश्मे से कश्मीर समस्या को देखना बंद करना होगा। धारा 370 पर बहस हो सकती है, पर इस बहस के केंद्र में कश्मीरियों की इच्छा रखनी होगी। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की अपनी-अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करते हूँ उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता देनी होगी। कश्मीरयित के लिए संघर्ष और जेहाद में फ्रकके समझना होगा।

दंभपूर्ण आक्रामक तैवरों से न कश्मीर की जनता का भला होगा, न देश का।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>